LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY , UTTAR

VIPIN KHAND,GOMTINAGAR ,LUCKNOW

PERMIT TO BULD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-LUCKNOW

PRINT DATE : 03/02/2021

APPLICATION 54049

WARD:

PERMIT NO: **43174**

FILE NO : 110/EE/M.CELL/2019

SCHEME : NonScheme-MapApproval

SITE OF COMMERCIAL

SECTOR :

PROPERTY KH.NO. 416 & 417-PART, MOHIBULLAH PUR

NAME: MAQSOOD AHMAD & RIYAZ AHMAD

Address: 475/41-A, QADAM RASOOL, DALI GANJ, LUCKNOW

Sanction vide order dated **07/01/2021** of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of **06/01/2026** **or expiry date of Lease deed whichever is earlier**

Restriction If Required:

Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P

: प्रतिबन्ध :

1. निर्माण पूर्ण करने के पश्चात प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तत्पश्चात ही भवन उपयोग किया जायेगा।
2. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं खुले भाग में वृक्ष लगाना अनिवार्य है तथा शासनादेश के अनुसार स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था पूर्ण करनी होगी।
3. भूस्वामित्व एवं चौहद्दी के वाद–विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
5. वाह्य विकास शुल्क, वाह्य विकास व अर्जन व्यय एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की अवशेष 75% धनराशि Rs. 1,49,49,199.00 के सापेक्ष निर्धारित 08 त्रैमासिक किश्तों को निर्धारित तिथि पर जमा कर उसकी रसीद नियमानुसार समय पर प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा की दशा में मानचित्र पर प्राधिकरण द्वारा उचित कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
6. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
7. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
8. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेवर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
9. निर्माण करते समय भू–स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गड्ढे न हों तथा उसमें जल भराव न हो।
10. स्मॉग की समस्या को देखते हुऐ निर्माण स्थल के चारो तरफ ग्रीन जाली लगाना अनिवार्य होगा एंव निर्माण सामाग्रियों जैसे–मौरंग, बालू, गिट्टी, मिट्टी आदि के ऊपर जल छिड़काव की व्यवस्था करनी होगी तथा उन्हें तिरपाल आदि से ढ़ककर रखना होगा। निर्माण सामाग्री के आवागमन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को कवर्ड करना होगा।
11. लेबर सेस की वास्तविक धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर श्रम विभाग में जमा की जाने वाली धनराशि की रसीद प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
12. भवन निर्माण के पश्चात बेसमेण्ट का उपयोग पार्किंग हेतु मान्य है, अन्यथा उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
13. बेसमेण्ट का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व खनन विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
14. बेसमेण्ट का निर्माण करते समय अगल–बगल की सम्पत्ति की सुरक्षा का दायित्व पक्ष का होगा, किसी प्रकार की क्षति होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
15. यह स्वीकृति मात्र मल्टीप्लेक्स हेतु मान्य है अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
16. मल्टीप्लेक्स संचालन के सम्बन्ध में यदि किसी विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो निर्माणकर्ता को स्वतः अपने स्तर से प्राप्त करना होगा।
17. शासनादेश के अनुसार विकलांग दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु पर्याप्त प्रबन्ध करने होंगे।
18. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।